

प्रारूप प्रार्थना पत्र
"विधवा अनुदान योजना"

1. आवेदिका का नाम विधवा
2. आवेदिका का पत्र व्यवहार का पता एवं फोन नं० अथवा मोबाइल नं०
.....पिन
3. मृतक अधिवक्ता का नाम जन्मतिथि
4. अधिवक्ता पंजीकरण संख्या मृत्यु का दिनांक
5. आवेदिका के बैंक का नाम एवं बैंक एकाउण्ट नं०
6. **प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नक शपथ पत्र में दिये गये विवरण :-**
 - (अ) आवेदिका का नाम पति के नाम के सहित।
 - (ब) पति की जन्मतिथि एवं मृत्यु दिनांक तथा बार कौंसिल उत्तर प्रदेश की पंजीकरण संख्या।
 - (स) मृतक अधिवक्ता की अकेली जीवित विधवा है या अन्य और भी हैं।
 - (द) इसके पूर्व आवेदिका को **विधवा अनुदान योजना** के अर्न्तगत कभी भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।
7. शपथ पत्र के साथ हाईस्कूल का प्रमाण पत्र, बार कौंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र, अधिवक्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा आवेदिका का प्रमाणित वैध प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, सभासद या पंचायत सेक्रेटरी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र)
8. शपथ पत्र "उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति, लखनऊ" के नाम होना आवश्यक है।

घोषणा

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं मृतक अधिवक्ता की एकमात्र विधवा हूँ। कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा दिए गये किसी तथ्य में कोई मिथ्या कथन पाया गया तो जो भी दण्डात्मक निर्णय लिया जायेगा, मुझे स्वीकार होगा।

आवेदिका का पूर्ण पता एवं हस्ताक्षर

सत्यापन

हस्ताक्षर

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव
(पदनाम एवं मुहर सहित)

नोट विधवा अनुदान योजना की धनराशि सीधे आवेदिका के बैंक खाते में जमा की जायेगी, चेक देने का प्राविधान समाप्त किया जाता है।